करा रही है, ताकि वे कंपनी की वार्षिक आम सभा (एजीएम), जो कि बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 को प्रातः 11 बजे एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 के पते पर आयोजित की जानी है, के नोटिस में निहित प्रस्तावों के संदर्भ में अपने मत इलेक्ट्रोनिक रूप से डाल सकें। सदस्य इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मत एजीएम के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से दे सकते है (दूरस्थ ई–मतदान)। दूरस्थ ई–मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') की सेवाएं प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राप्त की है।

एजीएम का नोटिस जिसमें अन्य के अतिरिक्त मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के विषय में विस्तृत अनुदेश एवं सूचनाएं दी गई है वह सदस्यों को प्रेषित/ई–मेल कर दिया गया है, तथा यह प्रेषण/ई–मेल 28 जून, 2018 को पूरा कर दिया गया है। एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com एवं कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत की है तथा उन सदस्यों को जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नही की है उन्हे संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है।

दूरस्थ ई–मतदान सुविधा सोमवार 23 जुलाई, 2018 को प्रातः 9 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार 25 जुलाई, 2018 को सांय 5 बजे समाप्त होगी। उक्त समय और तारीख के पश्चात दूरस्थ ई–मतदान करने की अनुमती नही होगी।

केवल वही व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों/लाभप्रद मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि बृहस्पतिवार 19 जुलाई, 2018 को दर्ज होंगे, वे दूरस्थ ई–मतदान तथा बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के पश्चात कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि बृहस्पतिवार 19 जुलाई, 2018 को शेयर धारक है, वह अपना यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिये :–

- कार्वी की ई–मेल आईडी evoting@karvy.com / ramesh.desai@karvy.com या टोल फी न. 1800–3454–001 पर सम्पर्क कर सकते है।
- जिन सदस्यो का मोबाइल न. रजिस्टर्ड है वे 9212993399 पर निम्नलिखित तरीके से SMS कर सकंते हैं। (Demat शेयर धारको के लिए) MYEPWD <space> DP ID Client ID; (Physical शेयर धारको के लिए) : MYEPWD <SPACE> Event No. + Folio No. (eg. 3821XXXXXXX)
- जिन सदस्यों का ई–मेल आई डी या मोबाइल न. रजिस्टर्ड है वे https://evoting.karvy.com के होम पेज पर "forgot password" पर अपने Folio No. / DP ID Client ID तथा PAN अंकित करें।
- यदि कोई व्यक्ति पहले से ही कार्वी के साथ दूरस्थ ई–मतदान के लिए पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिए नया यूज़र आइडी तथा पासवर्ड प्राप्त किए बिना अपना मौजूदा यूज़र आइडी तथा पासवर्ड उपयोग करें।

कंपनी की एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्य जो बैठक में भाग ले रहे है एवं जिन्होंने पहले ही अपना मतदान दूरस्थ ई–मतदान द्वारा नहीं किया है वे बैठक में अपना मतदान कर सकते है। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–मतदान द्वारा अपना मत दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें अपना मत पुनः देने की अनुमति नही होगी।

दूरस्थ ई–मतदान से संबन्धित शिकायतों के लिए कृपया श्री जी रमेश देसाई, प्रबंधक कार्वी कम्पयूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 & 32, गचीबोली, फाइनेनशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032 को इमेल आइडी ramesh.desai@karvy.com, फोन नं 040–67161528 पर संपर्क करें।

कृते डाबर इण्डिया लिमिटेड
(ए. के. जैन)
वी.पी. (फाईनेन्स) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 28 जून, 2018

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)-37(पीबी) के 2018

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत)

कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड तथा टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

तथा

मामले में :

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रिसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है **...आवेवक कंपनी 1/अंतरक कंपनी**

तथा

टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रिसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में है **...आवेवक कंपनी 2/अंतरिति कंपनी**

भारती एयरटेल लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की अधिकरण आमंत्रित बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 24 अप्रैल, 2018 के आदेश को 11 मई, 2018 के आदेश के साथ पढ़ा गया (सामूहिक रूप से **''आवेश''**) के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (**''अधिकरण''**) की माननीय प्रमुख पीठ ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरक कंपनी) के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 के अंतर्गत भारती एयरटेल लिमिटेड तथा टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना (**''योजना''**) पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन-सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एततद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरक कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक एयरफोर्स ऑडीटोरियम, आर एण्ड आर हॉस्पीटल के पास, एनएच-48, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में सोमवार, 30 जुलाई, 2018 को अप: 1:30 बजे से 2:30 बजे तक (**''बैठक''**) आयोजित की जायेगी। जिसमें अंतरक कंपनी के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों। योजना तथा कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां अंतरक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भारती क्रिसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 से एवं / अथवा उसके अधिवक्तागण मै. ए जेड बी एंड पार्टनर्स के प्लॉट नं. ए-8, सैक्टर-IV, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत् या प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूर्ण हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी अंतरक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र ऊपर वर्णित रूप में अंतरक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं / अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय में किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है।

माननीय अधिकरण ने बैठक एवं उसके किसी स्थगन(नों) के लिए, अध्यक्ष के रूप में श्री पी नागेश, अधिवक्ता तथा उनकी विफलता के एवज् में सुश्री रंजना आर गोवई, अध्यक्ष के रूप में बैठक का अधिवक्ता नियुक्त किया है। साथ ही, अधिकरण ने बैठक एवं उसके किसी स्थगन(नों) के लिए, पर्यवेक्षक के रूप में श्री प्रमोद कुमार जैन को नियुक्त किया है। योजना, यदि बैठक में स्वीकृत होती है, माननीय अधिकरण की परवर्ती स्वीकृति के आधीन होगी।

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह/–
रोहित कृष्ण पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 28 जून, 2018
स्थान: नई दिल्ली

–आवेदक कंपनी सं. 1
(अंतरिती कंपनी)

प्राइसलेस ओवरसीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1995PLC074681,
कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनीतथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-30, एस-11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में है

–आवेदक कंपनी सं. 2
(अंतरक कंपनी)

फार्म सीएए. 2

[धारा 230 (3) तथा कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 तथा 7 के अनुपालन में]

कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए)-70 (एनडी)/2018

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों की बैठक की सूचना तथा विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 29 मई, 2018 एवं 7 जून, 2018 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''एनसीएलटी'') ने निर्देश दिया है कि अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, अंतरिती कंपनी तथा अंतरक कंपनी के अप्रतिभूत क्रेडीटरों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाए जिसमें प्राइसलेस ओवरसीज लिमिटेड (अंतरक कंपनी) तथा पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडीटरों के बीच समामेलन की योजना (''योजना'') में निहित व्यवस्था पर विचार कर यदि उपयुक्त पाया गया तो संशोधन के साथ अथवा उसके बिना उसे स्वीकार की जाए।

उक्त आदेश तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, अंतरिती कंपनी तथा अंतरक कंपनी के अप्रतिभूत क्रेडीटरों की अलग-अलग बैठकें इस प्रकार से आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों से अनुरोध है कि उसमें भाग लें।

क्रम सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन एवं तिथि	बैठक का समय (आईएसटी)	बैठक का स्थान
1.	पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों	सोमवार, 30 जुलाई, 2018	11.00 बजे पूर्वा. आईएसटी	द एक्जीक्यूटिव क्लब रिजॉर्ट, डॉली फार्म्स एंड रिजॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 439, ग्राम शहूरपुर, पीओ फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली-110074
2.	पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड के अप्रतिभूत क्रेडीटरों	सोमवार, 30 जुलाई, 2018	3.30 बजे अप. आईएसटी	
3.	प्राइसलेस ओवरसीज लिमिटेड के अप्रतिभूत क्रेडीटरों	सोमवार, 30 जुलाई, 2018	10.00 बजे अप. आईएसटी	

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत उक्त योजना तथा व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा उसके सलाहकार विकास वर्मा एंड एसोसिएट्स के कार्यालय: बी-502, स्टेट्समेन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001 में इक्विटी शेयरधारकों तथा प्रतिभूति क्रेडीटरों द्वारा उसके लिये एक दिन के भीतर (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) मांग करने पर निशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-30, एस-11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048 में उपरोक्त बैठक शुरू होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अनुपालन में प्रस्तुत किये जाने के लिये वांछित व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रॉक्सी का प्रपत्र पंजीकृत के पंजीकृत कार्यालय से निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी तथा साथ ही उपरोक्त बैठक की सूचना के साथ संलग्न है तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.pgil.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिये श्री आशीष अग्रवाल, अधिवक्ता को अध्यक्ष तथा उनकी विफलता में श्री सौगात सिन्हा, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि:

1. व्याख्यात्मक विवरण, समामेलन की योजना, उपस्थिति पर्चो, प्रॉक्सी प्रपत्र आदि के साथ सूचना ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रानिक पद्धति से भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। उसकी भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है।
2. कम्पनी ने कट-ऑफ तिथि अर्थात 15 जून, 2018 को कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों को सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।
3. कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग अथवा उपरोक्त स्थान पर मतदान करने की सुविधा शेयरधारकों को उपलब्ध कराई है ताकि शेयरधारक योजना पर विचार तथा अनुमोदन कर सकें। ई-वोटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने एनएसडीएल (नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) की सेवाएं प्राप्त की है।
4. ई-वोटिंग अथवा इक्विटी शेयरधारकों की बैठक स्थल पर मतदान के लिये इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 जुलाई, 2018 है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही मतदान के लिये अधिकृत होंगे, जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के शयेरधारक नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिये देखें।
5. इक्विटी शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग द्वारा मतदान 27 जुलाई, 2018 को 9.30 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 29 जुलाई, 2018 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य इलेक्ट्रिॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद ई वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई-वोटिंग अथवा बैठक स्थल पर मतदान में से मतदान की किसी एक ही प्रक्रिया का चयन कर सकते है। यदि कोई शेयरधारक ई-वोटिंग तथा स्थल पर मतदान द्वारा अपना मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागू रहेगा। ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये होने के बाद भी शेयर धारक बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए ये अधिकृत नहीं होंगे।
6. यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 जुलाई, 2018 को शेयर धारित करते हों, वे evoting@nsdl.co.in या info@masserv.com या pgindustry93@gmail.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
7. ई-वोटिंग निर्देशों सहित सूचना कम्पनी की वेबसाईट-www.pgil.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
8. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी समस्या/प्रश्न श्री देवेन्दर कुमार, कम्पनी सचिव, पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड, ए-30, एस-II, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048; ईमेल: pgindustry93@gmail.com टेली.: 011-26654053 को संबोधित की जा सकती है।
9. कम्पनी सहर्ष सूचित करती है कि अप्रतिभूत क्रेडीटर्स के पास पोस्टल बैलेंट अथवा बैठक स्थल पर माननीय एनसीएलटी, दिल्ली शाखा द्वारा आदेश तिथि 29.5.2018 के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना मतदान करने का विकल्प होगा।
10. अप्रतिभूत क्रेडीटर मतदान की केवल एक ही पद्धति अर्थात् क) पोस्टल बैलेंट या ख) मतदान स्थल पर मतदान का चयन कर सकते हैं। पुनः, अप्रतिभूत क्रेडीटर्स जिन्होंने उपरोक्त रूप में पोस्टल बैलेंट द्वारा अपना मतदान किये हों बैठक स्थल पर पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे चाहे व्यक्तिगत हो या प्रोक्सी द्वारा। यदि वे ऐसा करते हैं तो बैठक स्थल पर किया गया मतदान अवैध होगा।
11. स्पष्ट किया जाता है कि पोस्टल बैलेंट से मतदान करने से अप्रतिभूत क्रेडीटर बैठक में उपस्थित होने की पात्रता से वंचित नहीं होंगे। पोस्टल बैलेंट द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अप्रतिभूत क्रेडीटरों को बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. जिन अप्रतिभूत क्रेडीटरों को पोस्टल बैलेंट प्रपत्र प्राप्त नहीं हो, वे या तो कम्पनी की वेबसाईट www.pgil.com से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या कम्पनी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय से डुप्लिकेट पोस्टल बैलेंट प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेंट तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा बैठक स्थल पर मतदान का संचालन करने के लिये श्री दिनेश कुमार चितकरा, कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सदस्यता सं. 073944) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

योजना यदि उपरोक्त बैठकों में स्वीकृत होती है तो बाद में एनसीएलटी की स्वीकृति के अधीन होगी।

हस्ता./–
देवेन्दर कुमार
कम्पनी सचिव, पी.जी. इंडस्ट्री लिमिटेड

स्थान: दिल्ली
तिथि: 28 जून, 2018